न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–30/2018–19

ईमा देवी...अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
28.07.18	अपीलार्थी ईमा देवी, पति–श्री बासु गोप, सा०–कांची, टोला–हेठकांची, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–175 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–27/12/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
काँची	बुण्डू/0012	400	2109	35 डीसमील

अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–175 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–27/12/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार ऑनलाइन दाखिल–खारिज आवेदन में की गई प्रविष्टि निबंधित पट्टा के अनुसार भिन्न है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोंपरांत ज्ञात होता है कि ऑनलाइन दाखिल–खारिज आवेदन में की गई प्रविष्टि में निबंधित पट्टा के अनुसार भिन्न होना लिपिकीय भूल है जिसके कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि उक्त लिपिकीय भूल सुधार करते हुए इस वाद में अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 28/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

(हस्ताक्षर) 28/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।